No. SML-SR (57)/2018 - 2041

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF). Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dweller (Recognition of Forest Rights) Act. 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that OD-12-87 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of the Executive Engineer. (R&B).

M. C. Shimla District Shimla for Construction of ambulance road Dhalli Chowk to Durga Colony (purpose for diversion of forest land) in Shimla District falls within jurisdiction of Up mohal Catchment Area Dhalli, Shimla-Rural.

It is further certified that:-

the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire OO-12-87 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure to

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as requested under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

(c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agriculture communities.

Encl: As above

(11032)

50K Carco 15/9/8

Sh. Roop

DISTRICT SHIMLA HIMACHAL PRADESH

Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006

A meeting of the District level Committee of Shimla District, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship/Chairpersonship of Shri Amit Kashyap, IAS, Deputy Commissioner, Shimla on 06.09.2018 at 11.30 A.M. at Shimla in which the application(s) of applicants of Gram Sabha, claiming rights in Village UP Mohal Catchment Area Dhalli forest area(s) 00-12-87 hectare, under FRA,2006, duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee Shimla-Rural were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicant(s) were found to be in order and hence admitted:-

Sr.No. Name of Applicant

ha

Name of Forest

Detail of forest Right

--Nil-

Claims of the following applicants were not found in order and hence rejected:-

Sr.No. Name of Applicant

Name of Forest

Detail of forest Right

--Nil-

DR

As informed by SDO (Civil) Shimla-Rural, no application was received from Gram Sabha claiming right in OD-12-87 hectare forest area.

Place: Shimla

Date: 06.09.2018

Deputy Commissioner-Cum- Chairman

PROCEEDINGS OF THE MEETING OF DISTRICT LEVEL FOREST RIGHTS COMMITTEE HELD ON D6.09.2018 UNDER THE CHAIRMANSHIP OF SHRI AMIT KASHYAP, IAS, DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA.

Meeting of the District Level Forest Rights Committee was convened on 06.09.2018 under the Chairmanship of Shri Amit Kashyap,IAS, Deputy Commissioner, Shimla in his office chamber The following were present:

I. Smt Prabha Rajeev

2. Sh. D. P. Chandel

3. Sh C. B. Tashildar

4. Sh. Bahadur Singh

5. Smt. Neelam Saraik

6. Smt. Anita Kimta

Addl. District Magistrate (L&D)

ACF. Shimla

DFO. Rohru

Range Forest Officer, Shimla (Urban)

Nominated Member

Nominated Member

At the outset the Deputy Commissioner, Shimla welcomed all the members of the committee. The ADM (L&O) apprised that total 36 cases including 10 from the Sub-Divisional Level Forest Rights Committees under the FCA, 1980 and 26 cases from the Divisional Forest officer, Rohru (under Section 3 Sub-section 2) have been received. Thereafter, the cases were placed before the District Level Forest Rights Committee and after detailed discussion following decisions were taken:

- 1. Out of IO cases which were received from Sub-Divisional Forest Rights Committee following 7 cases have been approved to be processed under FCA. 1980. Rest of the 3 cases were not approved because of non-submission of Annexure-II on prescribed format and in two cases resolution of Gram Panchayat was not enclosed.
 - I. C/o Ambulance Road Dhalli Chowk to Durga Colony.
 - 2. C/o Galu to thalot via nala road
 - 3. C/o Durgapur to Oddu road
 - 4. C/o Ambulance road Patgaiher to Dhar ka Ghat
 - 5. C/o Judicial Complex building at Kumarsain
 - 6. C/o link road Tharola to Pujai
 - 7. C/o multi storey car parking near Dream Land Hotel at Jakhoo, Shimla

26 cases were received from Divisional Forest Officer, Rohru without making any effort to identify and settle the rights of the individual/communities in accordance to Wajib-ul-Arz with the plea that he is not competent to identify and settle the rights of individual/communities under the provision of section 3(2) of the Forest Rights Act, 2006 and the same has to be passed by the Gram Sabhas mentioning the existence of STs/OTFOs. It was observed by the Chairman that this issue was raised in the last meeting of District Level Forest rights Committee held on 18.06.2018 also and matter was taken up with ACS(Forest) for seeking clarification who has requested to issue directions to Divisional Forest Officers to consider all such proposals/cases and process the same as per the provisions of Act. Separate instructions were issued to the Sub-Divisional Officers (C). District Shimla to direct all the field revenue officials to provide all necessary assistance/information to the concerned DFOs working in their jurisdiction as and when required so that the proposal can be expedited. The issue was discussed in detail however. even after elaborate discussion the matter remained disconcerted. Hence, all these cases have not been approved.

The meeting ended with vote of thanks to and from the chair.

Deputy Commissioner-cum-Chairman, District Level Forest Rights Committee, Shimla, District Shimla, H.P.

1 04-7-2018 को अध्यक्ष/उप-मण्डलाधिकारी (ना0) शिमला ग्रामीण केक की कार्यवाही ।

बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

1 श्री अनिल शर्मा अध्यक्ष ।

- श्री हरीश कुमार तहसीलदार शिमला ग्रामीण एवम सदस्य सचिव।
- 3 श्री प्रदीप वर्मा अध्यक्ष पंचायत समिति सदस्य बसन्तपुर ।
- अधिरा लाल डिपटी रैजर वन विभाग मशोबरा ।

आज दिनांक 04-7-2018 को उप-मण्डलाधिकारी की अध्यक्षता में उप-मण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक की गई, बैठक में सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने सभी उपरिष्यत सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात निम्न मदो पर वर्चा की गई :-

मद संख्या 1 बैठक में अधिशासी अभियन्ता B&R MC Shimla हि0 प्र0 के पत्र संख्या NO MCS/XEN/859/MU/17-237 दिनांक 23.1 2018 के आवेदन पत्र जिसमें कि Construct Ambulance road Dhalli Chowk to Durga Colony RD 0/0/ 0/400 on Kh. No 34/1 Up mohal Chtchment area measuring 0.1287 Hect in Shimla Town , भूमि ग्राम वन अधिकार समिति वाड नम्बर 21 में Ambulance road निर्माण बारे संस्तुति की गई है भूमि हस्तान्त्रण करने बारे प्रस्ताव पारित किया है उर्पयुक्त मद के सन्दर्भ में उप-मण्डल स्तर पर वन अधिकार समिति के समझ कोई भी दावा प्रस्तुत न हुआ, अतः उक्त प्रयोजन हेतु भूमि देने बारे प्रस्ताव सर्वसम्भिति से पारित किया गया।

मद संख्या 2 बैठक में अधिशासी अभिन्ता लोठनिठ विभाग उप-मण्डल नमबर 1 के पत्र संख्या PW-SD-I/WA-Forest Clearance/2018 2550-51 दिनांक 2.5. 2018 के आवेदन पत्र जिसमें Construction of Galu to Thalot Via Nala Road निर्माण हेतु भूमि रनवा 2.09.37 हैक्टैयर भूमि में ग्राम वन अधिकार समिति सम्पर्क सडक गलू से थलोट वाया नाला निर्माण बारे संस्तुति की गई है भूमि हस्तान्त्रण करने बारे प्रस्ताव पारित किया है उपंयुक्त मद के सन्दर्ग में उप-मण्डल स्तर पर वन अधिकार समिति के समक्ष कोई भी दावा प्रस्तुत न हुआ, अतः उक्त प्रयोजन हेतु भूमि देने बारें प्रस्ताव सर्वसम्मिति से पारित किया गया।

मद संख्या 3 बैठक में नायब तहसीलदार शिमला ग्रामीण के पत्र संख्या ति सख्या रीडर 2/2018 1671 दिनाक 25 जून 2018 पटगैहर से धार का दिगठ प्रस्तावित गी वाहन मार्ग निमाण बारे निर्माण हेतु भूमि रक्वा 0-39-26 हैक्टैयर भूमि में ग्राम वन विधकार समिति पटगैर में ऐम्बुलैस सडक निर्माण बारे सस्तुति की गई है भूमि हस्तान्त्रण करने बारे प्रस्ताव पारित किया है उर्पयुक्त मद के सन्दर्भ में उप-मण्डल स्तर पर वन अधिकार समिति के समक्ष कोई भी दावा प्रस्तुत न हुआ, अतः उक्त प्रयोजन हेतु भूमि देने बारें प्रस्ताव सर्वसम्मिति से पारित किया गया।

मद संख्या 4 बैठक में अधिशासी अभिन्ता लो०नि० विभाग उंप-मण्डल नमबर 1 के पत्र संख्या PW-SD-I/WA-Forest Clearance/2018 7495-96 दिनांक 13.6.2018 के आवेदन पत्र जिसमे Constuction of GDurgapur to Oddu Road निर्माण हेतु भूमि खसरा नमबर व रक्वा 47/1 (0.05.55) 8/1,8/2,8/3,13/1 13/2, (0.39.96 13.50.0 13.50.01 24.74,013.50) हैक्टैयर भूमि में ग्राम वन अधिकार समिति नालदेहरा से ओडू सडक निमाण बारे सस्तुति की गई है भूमि हस्तान्त्रण करने बारे प्रस्ताव पारित किया है उर्पयुक्त मद के सन्दर्भ में उप-मण्डल स्तर पर वन अधिकार समिति के समक्ष कोई भी दावा प्रस्तुत न हुआ, अतः उक्त प्रयोजन हेतु भूमि देने बारे प्रस्ताव सर्वसम्मिति से पारित किया गया।

अध्यक्ष/उप-मण्डलाधिकारी (ना०) शिमला ग्रामीण क्रिला शिमला ।

of the Sub- Divisional Officer (Civil), Shimla (R) District Shimla (HP)

pioce ding of the meeting of the Sub-Divisional level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Right Act (FRA) 2006.

A Meeting of the Sub Divisional Committee of Shimla Rural Sub Division, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship/of Sh Anil Sharma, SDO (Civil) Shimla Rural on 04-07-2018 at Shimla (Place) in which the applications submitted by applicants/Department were examined by the President Forest Right Committee, Vill-ward No 21 Lower Dhalli Executive Engineer, (R&B) M.C. Shimla District Shimla. As discussed and recommended the same is to be forwarded District Level Committee for approval.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicant(s) were found to be in order and recommended for admission to District level admitted:

S. No. Name of Applicant

Name of forest

Detail of forest Right

No Claim from anybody has been received

UPF Mohal Catchment area Dhalli. Construction of Ambulance road Dhalli Chowk to Durga colony 0-1287 hect.

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected:-

S. No.	Name of Applicant	V	lame of Fore	st Detai	l of forest Right
1.	-			-	-
2.					3.1 %
		OR ·			- ; * · · ·
As informed	byGram	Sabha on a	pplication w	vas received	claiming rights i
	forest area.				20 25
	Cupy	Attuste	2	/-	7/4 * * 1

Place: Shimla

Date: 04-07-2018

Addl. District Magistrate SHIMLA

SDO (Civil) eum-Chairman/Chairperson

Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area.

हत एकि उस महामार वन निवासी (वन अधिकारों की गान्यता) अधिनियम, 2006 वन अधिकारु समिति माम समा लो अंदे हनी प्रतिसिधी प्रस्ताय

= 14

विनाक 3 | 8 | 2017

हर समेरे गाम लग लाअर् दिली की बैठक आज दिनाक 318 2017 बजे स्थान क्लेअर्ट क्ली में श्री श्रीमति औं में द्रिन न्यों छन् है की गई जिसमें भार क्ली आव की अनुसूचित जनजाति और अन्य वर विवासी वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम,2006 के अन्तर्गत जान के हिन्न जा मैं हुई। त व व व में जिसमें ना निगर्ने विभाग हारा ए म्लु दो में संउक् निम् े लिए 00:12:87 है क्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।)वन अधिकारों के लिए हैं। पात हुए गांद पासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर वर्चा की गई । वन अधिकारों के प्रस्ताव साध प्रस्तुत इस्लावेजो के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा • केन्न लेखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया –

"पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम

वन अधिकार का ध्यौरा

नुक्तार यह वन अधिकार समिति इस दावं / इन दावों की पारित करने हेतू ग्राम सभा से इसकी कारिक अपना है।

राक्ट - म लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया -

) 등(0

नपात्र गांव वासी का नाम

Copy Attested

ानुसार काम समा इस दाव/ इन दावों का पारित निरस्त करने की सिफारिश करती है। Add. Distri

पुषा पृष्ट्र(विस्तास / धन क्षंत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त निही हुआ

7 21nel

-

े प्रामिदाओं । सम्म वासीया के नाम जिन्होंने इस वन क्षत्र । जगल में वन अधिकार के दावे के लिए दन किया है।

्ष्रीजेटर / कार्य का नाम जिसक लिए दन (सरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग अनुनि दी जानी है।

Annexture-II

अल्लाति और अन्य परम्परगत यन निवासी (पन् अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 गाम सभा लोअर ७ छ प्रतिसिधी प्रस्ताव

10 000 14

50

forma 3/8/2019

लो अर दली की बैटक आज दिनाक 318/17 का लो अर दली में भी भीति औं को प्राप्यसता म के का अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागः कि जनजाति और अन्य परम्परागः के नाम हारा एक मुलेस स्टब्स ao-12-17 हेवटेयर बन भूमि के उपयोग की मजूरी प्रस्तावित है।) वन अधिकारों के लिए दाव हेतू ग्राम क उन आधेकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवदेनों पर धर्मा की ं अध्ययन तथा उस पर विस्तृत वर्धा के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत वर्धा क क्त इस प्राप्त सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया –

"पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम

वन अधिकार का व्योग

नुसा यह ग्राम सभा इस दावें / इन दावों की पारित करते हुए इसे खण्ड स्तर की समिति की न हुम्मल हें।

ोक्त 🖟 🚈 लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नही पाया गया :--

EO : *पात्र गांव वासी का नाम Copy Attested

नुसार गाम सभा इस दावं / इन दावों की निरस्त करती है।

ग्राम तमा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार भे ६५ छ। भे ६५ ६) जगल / यन धन्न गेई भी दन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

i denen

श्रीमधारों / ग्राम धार्मायों के नाम जिन्होंने इस वन क्षत्र / जगल ने वन अधिकार के दावे के लिए इन् क्या है।

प्रोजक्ट / कार्य का नाम जिसक लिए वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वस भूमि के उपयोग अनुमित दी जानी है।

Annextme.V ्रात्त और अन्य परम्परगत चन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम् २००६ काम्य कली toron Ginen (beors)

प्रतिलिपी प्रस्ताव

1738 /3000

विनाक 3/8/17 प्रस्ताव संख्या.... । ५

एर प्रेंश से १९५ विमाग / सस्था को एउट पि (१९४) -के मेर्च हेतू जगल / वन अठ होंद्र ००-- 12-87 हेक्टेयर वन भूमि के उपकेश

हाँ । हेर सहमति प्रदान करने हेत्।

को बैठक आज दिनाक छ 8 17 क वज स्थान स्मोध्य दिली की गई जिसमें प्राण्ट-नगा दिना / संस्था को एम अ से जिस्मा के निर्माण हत् में हुए। भें हु दी राज्य के निर्माण हत् में हुए। भें हु दी राज्य के निर्माण की नज़रें हैं हिमान प्रयान काले पर चर्चा की गई है।

लर्भ ग्रामधासियों न संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतू उपयोग के उद्देश्यों को पूरी नक्ष है बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपराक्त प्रस्ताव के लिए दन भूमि क्त प्राथम्बर ह

था 👉 उन बंदक न अनुसृचित - जनजाति और अन्य परम्परागत दन निवासी (वन अधिकारी की अधिनयन २५०६ क अनतर्गत वन अधिकारा के दावों के निपटार पर भी चर्चा की गई तथा सर्व है ज जीन फिया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटार त न न प्राह्मण पूरी की का गई। हं / कर ली हे तथा प्रस्तावित *00-12-87* हैक्टयर बन हिंदु जे म जिड्न निर्माण हेन् उपयाग के लिए ग्रान समा जो अर दली की

Copy Attacked

lamon

Addl. District Magistratt SHIMLA